"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2005 – ज्येष्ठ 10, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2005

क्रमांक 6/सी एस ई आर सी/रेग्युलेशन–6/2004, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का क्रमांक 36) की धारा 181 (2) (यछ, य) के साथ पठित धारा 62 (2) और 64 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा ***उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों के टैरिफ के अवधारण के लिए दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति*** संबंधी निम्नलिखित विनियम बनाता है।

विनियम

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. ये विनियम ***छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004*** (वर्ष 2004 का क्रमांक 6) कहलाएंगे।

2. ये विनियम छत्तीसगढ़ सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

3. ये विनियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

4. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) (इसके बाद 'केन्द्रीय अधिनियम' संदर्भित होगा), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 (इसके बाद 'कार्य संचालन विनियम' संदर्भित होगा) में यथा परिभाषित है।

5. इस विनियम में अनुज्ञप्तिधारी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 'समझे गये अनुज्ञप्तिधारी' सम्मिलित हैं।

टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन

6. प्रत्येक उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष 30नवम्बर तक आयोग को लागू विविध प्रभारों सहित प्रभार तथा अनुमोदित टैरिफ के अधीन तथा बनाई गई धारणाओं की विस्तृत व्याख्याओं के साथ विविध प्रभारों सहित प्रभारों तथा टैरिफ से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आशायित राजस्व को समाविष्ट करते हुए टैरिफ आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि आयोग द्वारा ऐसा करने को कहा जाय तो व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन देगा।

7. उत्पादन कम्पनियॉ और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों में जानकारी दी जायेगी –

   (क) उत्पादन कम्पनी के लिए प्रपत्र जो परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये हैं।

   (ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रपत्र जो परिशिष्ट–2 में दर्शाये गये हैं।

   (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रपत्र जो परिशिष्ट–3 में दर्शाये गये हैं।

(घ) व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रपत्र जो परिशिष्ट–4 में दर्शाये गये हैं।

8. उत्पादन कम्पनी व अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त खण्ड 7 में वर्णित आरूपों के साथ आयोग द्वारा पूर्व टैरिफ आदेश में दिये गये दिशा–निर्देशों के पालन पर विवरण प्रस्तुत करेंगे।

9. टैरिफ निर्धारिण हेतु आवेदन के साथ उपरोक्त खण्ड–7 में निर्धारित प्रपत्रों में पूर्व वर्ष, चालू वर्ष व आगामी वर्ष के लिए जानकारी संलग्न की जायेगी। पूर्व वर्ष की जानकारी परीक्षित लेखों पर आधारित होनी चाहिए एवं परीक्षित लेखों की अनुपस्थिति में, पूर्व वर्ष से पिछले वर्ष के परीक्षित लेखों को पूर्व वर्ष के अपरीक्षित लेखों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

10. प्रत्येक नवीन अनुज्ञप्तिधारी लायसेंस की स्वीकृति मिलने पर खण्ड 7 में दर्शाये गये प्रपत्रों सहित आयोग के समक्ष टैरिफ आवेदन तत्काल प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक नवीन उत्पादन कम्पनी वाणिज्यिक संचालन के प्रारम्भ होने से कम से कम तीन माह पूर्व आयोग के समक्ष टैरिफ आवेदन देगा।

11. सम्यक रूप से भरे गये आरूप और व्याख्याओं के साथ प्रस्तुत किया गया टैरिफ अवधारण का आवेदन, याचिका के रूप में माना जावेगा और इसे कार्य संचालन विनियमों में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

12. टैरिफ की अवधारणा अथवा पूर्व में निर्धारित टैरिफ को ही निरंतर लागू रखने हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ पूर्व वर्ष के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2004 (वर्ष 2004 का क्रमांक 5) के अनुसार टैरिफ आवेदन शुल्क संलग्न किया जायेगा।

13. समस्त फाइल किए गए आवेदन, अनुज्ञप्ति विनियमों में निर्धारित अनुबंधों और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप होने चाहिए। आवेदन की प्रतियां समस्त उत्पादन कम्पनियों, अनुज्ञप्तिधारियों और राज्य सरकार को अलग–अलग भेजी जाएंगी।

14. पारेषण और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रत्येक वोल्टेज स्तर की तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों का विस्तृत विवरण सम्मिलित किया जायेगा। वोल्टेज स्तर के अनुसार हानियों को उस वोल्टेज पर ली गई ऊर्जा के तदनुसार वितरित किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हानियों (नुकसान) को कम करने की योजना के साथ उसे योजनानुसार कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित पूंजी निवेश का विवरण उपलब्ध कराना होगा। ऐसी समस्त योजनाएं आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से वर्षवार तथा इन योजनाओं को निष्पादित करने के लिए अपेक्षित निधि के स्त्रोतों को दर्शाते हुए कम से कम चार पश्चात्वर्ती वर्ष को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत की जाना अपेक्षित है।

15. यदि विविध प्रभारों सहित तत्समय में लागू टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राजस्व की बीच राजस्व अंतर होता है तो उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी इस राजस्व अंतर को बराबर करने हेतु प्रस्ताव/योजना प्रस्तुत करेगा।

16. लिखित प्रतियों (हार्ड कॉपीज) में जानकारी के अतिरिक्त यह ऐसे इलेक्ट्रानिक प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, जैसा कि आयोग आवश्यक समझे।

17. उपरोक्त खण्ड 7 में निर्दिष्ट विवरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्येक पृथक् कारोबार के लिए तथा उत्पादन कम्पनी के प्रत्येक पृथक कारोबार के लिए अलग–अलग दिया जाएगा। केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उन अनुज्ञप्त से भिन्न किसी कारोबार या सेवाओं को करने वाले अनुज्ञप्तिधारी की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी पृथक् राजस्व विवरण, व्यय विवरण, तुलन–पत्र तथा नकदी प्रवाह विवरण के साथ ऐसे ब्यौरे, जैसा कि आयोग ऐसे कारोबार या सेवा के संबंध में अपेक्षा करे, देगा।

18. आयोग आवेदन पर स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त जानकारी की मांग कर सकेगा और उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा नियत किये गये दिनांक के भीतर स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करेगा।

19. उत्पादन कंपनियॉ तथा अनुज्ञप्तिधारी उनके उन अधिकारियों के ब्यौरा आयोग को सूचित करेंगे जो समस्त वांछित जानकारी तथा आवश्यक स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तो, देंगे एवं उसे देने के लिए आयोग से पत्र व्यवहार करेंगे।

20. टैरिफ आवेदन/जानकारी के उपरोक्तानुसार प्रस्तुत न किये जाने/विलम्ब से दिये जाने पर केन्द्रीय अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार, आयोग, शास्ति/जुर्माना आरोपित कर सकेगा।

टैरिफ आवेदन का प्रकाशन

21. आयोग को स्पष्टीकरण दे देने के पश्चात उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी, आयोग से यथा अनुमोदित प्रस्तावों का संक्षिप्त सार, आवेदन की मुख्य बातें जो विभिन्न स्टेक होल्डर के हित में हो, हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कम्पनी के प्रदाय क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करायेगा।

22. उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 7 के अनुसार उत्पादन कम्पनियों, अनुज्ञप्तिधारियों को लागू संबंधित आरूप' में 'सार या एस', 'वित्तीय या एफ', 'निष्पादन या पी' तथा 'टेरिफ या टी' श्रेणी प्रारूपों के आधार पर हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में,

आवेदन तथा विवरण को मुद्रित कराने की भी व्यवस्था करेगा। आवेदन के मुद्रित दस्तावेज में 'एस' एवं 'टी' श्रेणी (सीरीज) के प्रारूप खण्ड 1 तथा 'एफ' एवं 'पी' श्रेणी के प्रारूप खण्ड 2 के रूप में होंगे। दोनों खण्डों का मूल्य अलग–अलग होगा।

23. टैरिफ आवेदन के दोनों खण्ड (वाल्यूम) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय में और पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के ऐसे कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा निदेशित किया जाए। उपभोक्ताओं को डाक द्वारा दस्तावेजों को प्राप्त करने की सुविधा भी दी जायेगी, यदि समुचित मूल्य के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन किया गया हो। सभी हितग्राहियों के सुलभ दर्शन हेतु यह दस्तावेज अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा जहां से उसकी प्रतिलिपि ली जा सके।

24. टैरिफ से सीधे प्रभावित होने वाले पक्षकार से भिन्न पक्षकारों से याचिका का स्वीकार किया जाना आयोग के विवेकाधिकार पर होगा।

आवेदन पर सुनवाई

25. जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए, आयोग, अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये गये राजस्व गणनाओं और टैरिफ प्रस्तावों पर कार्यवाहियां जारी रखेगा तथा ऐसे टैरिफ प्रस्तावों पर निर्णय करने से पहले, ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई कर सकेगा, जैसा कि आयोग उचित समझे।

26. उपरोक्त खण्ड 21 के अनुसार उत्पादन कम्पनी व अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावों का सारांश प्रकाशित करने का निर्देश देते हुए उनके टैरिफ आवेदन पर सुनवाई के लिए प्रक्रिया ऐसी रीति में होगी, जैसी कि आयोग विनिर्दिष्ट करे।

आयोग का आदेश

27. आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से एक सौ बीस दिन के अंदर तथा जनता से प्राप्त समस्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात, आयोग –

(क) ऐसे उपान्तरणों या ऐसी शर्तों के साथ, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, आवेदन स्वीकार करते हुए एक आदेश जारी करेगा, या

(ख) यदि ऐसा आवेदन केन्द्रीय अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार न हो तो लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदन अस्वीकृत करेगा।

परन्तु यह कि आवेदक को उसके आवेदन को अस्वीकृत करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

28. आयोग, केन्द्रीय अधिनियम कार्य संचालन विनियम तथा कोई अन्य विद्यमान नीतियों या विनियमों के उपबंधों तथा उद्देश्यों के अनुसार, टैरिफ का अवधारण करेगा।

29. आयोग, आदेश करने की दिनांक से सात दिन के अंदर राज्य सरकार, संबंधित उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी को आदेश की एक प्रति भेजेगा।

टैरिफ आदेश का प्रकाशन तथा उसका लागू होना

30. टैरिफ अवधारण के सभी आदेशों में यह लिखा होगा कि वे किस अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे एवं इस प्रकार का लेख न होने की दशा में, वह आदेश अगले टैरिफ की अवधारणा तक प्रभावशील रहेगा।

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश में दर्शायी गई समयावधि के बाद प्रचलित टैरिफ को प्रावधिक तौर पर लागू रखने के लिए कोई आवेदन दिया जाता है और यदि प्रचलित टैरिफ को लागू रखने के कारण आयोग उचित पाता है तो प्रचलित टैरिफ को लागू रखने की प्रावधिक रूप में सहमति दे सकता है।

31. उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रदाय क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में, विद्युत प्रदाय के टैरिफ की अनुसूची हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित करेगा तथा इसे मांग पर जनता को उपलब्ध कराएगा। ऐसे प्रकाशन की दिनांक से सात दिनों के पश्चात ही ऐसा टैरिफ प्रभावी होगा तथा बिल तद्नुसार जारी किए जाएंगे।

32. यदि कोई उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ या प्रभार से अधिक मूल्य वसूल करता है तो वह व्यक्ति जिसने ऐसा अधिक मूल्य या प्रभार दिया है, किसी अन्य निकलने वाली देनदारी के दायित्वाधीन, उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी से, बैंक रेट पर ब्याज सहित ऐसी अधिक जमा की गई रकम को पाने का हकदार होगा। आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न किसी टैरिफ का क्रियान्वयन आयोग के आदेशों तथा निर्देशों की अवहेलना माना जाएगा।

टैरिफ आदेश का पुनर्विलोकन

33. टैरिफ के पुनर्विलोकन के लिए समस्त आवेदन, विहित फीस के साथ याचिका के रूप में दिये जायेंगे। टैरिफ के पुनर्विलोकन के लिए याचिका निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयोग द्वारा ग्राह्य की जा सकेगी –

(क) पुनर्विलोकन याचिका टैरिफ आदेश के दिनांक से साठ दिवसों के अंदर प्रस्तुत की जाती है, तथा

(ख) अभिलेखों को देखते हुए कोई स्पष्ट त्रुटि है।

34. इस पर संतुष्ट होने पर कि किसी उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ का पुनर्विलोकन करना आवश्यक है, आयोग स्वयं की ओर से उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ के पुनर्विलोकन की प्रक्रिया आरम्भ कर सकेगा।

किसी लिपिकीय त्रुटि या अभिलेखों को देखते हुए कोई स्पष्ट त्रुटि को सुधारने हेतु, आयोग स्वप्रेरणा से भी किसी टैरिफ आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

टैरिफ में संशोधन

35. उपरोक्तानुसार अवधारित तथा अधिसूचित टैरिफ किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार संशोधित नहीं किया जाएगा, सिवाए इसके कि परिवर्तनीय लागत समयोजन सूत्र सहित टैरिफ आदेश में दर्शाये किसी समायोजन सूत्र या आयोग के किसी अन्य आदेश के अनुसार टैरिफ दरों का समायोजन किया जाये।

परन्तु यह कि केन्द्रीय अधिनियम की समुचित धाराओं के निबंधन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी सहायकी (सबसिडी) के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा दिये गये आदेश, अधिसूचित टैरिफ का संशोधन नहीं समझा जायेगा।

जानकारी का उपयोग

36. आयोग को यह अधिकार होगा कि उत्पादन कम्पनियॉ, अनुज्ञप्तिधारी, उनकी उत्तरवर्ती इकाईयां तथा अन्य विद्युत उपयोगिता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का उपयोग करे। जानकारी को उनकी वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का निर्देश भी आयोग दे सकेगा।

बहु–वर्षीय टैरिफ के सिद्धान्त और दिशा–निर्देश

37. आयोग, विविध प्रभारों सहित, प्रभारों और टैरिफ से आशयित राजस्व, निर्धारित संचालन दक्षता स्तर हेतु अनुज्ञेय कीमत, टैरिफ और प्रभारों का पुनरीक्षण, टैरिफ संरचना में परिवर्तन और ऐसे अन्य मामले, जिन्हें आवश्यक समझे जाएं, सुनिश्चित करते हुए टैरिफ अवधारण से संबंधित सभी मामलों में, बहु–वर्षीय टैरिफ सिद्धान्त लागू कर सकेगा।

38. आयोग, समय–समय पर बहु–वर्षीय टैरिफ हेतु राजस्व की गणना के विवरणों को भरने और टैरिफ आवेदनों हेतु दिशा–निर्देश जारी करेगा और जब तक आयोग द्वारा छूट न दी जाए, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

संशोधन करने की शक्ति

39. आयोग, इन विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों को किसी भी समय जोड़ सकेगा, फेरबदल कर सकेगा, उलट, उपांतरित, या संशोधित कर सकेगा।

विविध

40. इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात आयोग को किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी, जो न्याय के उददेश्य की पूर्ति करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उददेश्य से आवश्यक हो।

41. इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप किसी प्रक्रिया को आपनाने से आयोग को बाधित नहीं करेगा जो इन विनियमों के किसी उपबंध में फेरबदल करती है और विशेष परिस्थिति की दृष्टि से या लिखित में अभिलिखत किए गये कारणों में किसी ऐसे मामले या मामले के वर्ग के संव्यवहार के लिए यदि आयोग आवश्यक या समीचीन समझता हो।

42. इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी विषय से संबंधित या किसी शक्ति का प्रयोग करने से, जिसके लिए कोई विनियम निर्मित नहीं किए गए हैं, बाधित नहीं करेगा तथा आयोग ऐसे विषय, शक्ति तथा कृत्य का ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझये कार्रवाई करेगा।

टीप– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण जो (मूल संस्करण) है का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(अजय श्रीवास्तव)
उप सचिव